



**लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्या.**

**प्रथम तल, मिलेनियम प्लाजा काम्पलेक्स, जी.ई. रोड**

**रायपुर, छ.ग.-492001, फोन: 0771-4913855, 4035412**

**शाखा- गुडियारी, महावीर स्कूल के सामने, रायपुर, फोन: 0771-4009085**

**शाखा - बिलासपुर, पॉल काम्पलेक्स, पुराना हाईकोर्ट रोड के सामने,**

**फोन: 07752-407059, Email- Info@laxmimahilabank.com**

### **पुराने ऋणी बकायादारों हेतु आम सूचना**

लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित के पुराने बकायादार ऋणी सदस्यों जिनका ऋण दिनांक 31.03.2018 को संदिग्ध आस्ति के रूप में वर्गीकृत था एवं ऐसे सदस्य जिनका ऋण 31.03.2018 को अवमानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत था एवं बाद की स्थिति में संदिग्ध आस्ति में परिवर्तित हो गया, ऐसे ऋणी सदस्यों के लिए पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा एकमुश्त समझौता योजना 2023 अनुमोदित कर भेजा गया है। इस योजना का उद्देश्य पुराने कालातीत ऋणी सदस्यों को योजना के नियमों के तहत ब्याज में छूट प्रदान कर ऋणमुक्त होने का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत जमानती एवं गैरजमानती ऋण प्राप्त करने वाले पुराने कालातीत ऋणी सदस्य लाभान्वित होंगे। वेतनभोगियों द्वारा लिए गए ऋण इस योजना में सम्मिलित नहीं है।

इस योजना की परिधि में जमानती एवं गैरजमानती दोनों श्रेणी के ऋणी सदस्य शामिल हैं। योजना की जानकारी देने हेतु संबंधितों को व्यक्तिगत रूप से सूचना दी जा रही है किन्तु ऐसे सदस्य जिनके पते बदल गए हैं या बाहर जाने से जो अपने मकान में उपलब्ध नहीं हुए, उन्हें व्यक्तिगत सूचना देना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः इस विज्ञापित के माध्यम से इन्हें सूचना दी जा रही है कि वे योजना का लाभ उठाने हेतु बैंक की तीनों शाखाओं में से संपर्क करें एवं योजना की जानकारी प्राप्तकर निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन प्रस्तुत करें।

योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30.06.2023 है इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी**